

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद

द्वितीय तल, ब्लॉक-5, डॉ० राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर,
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302017

क्रमांक: रास्कूशिप/जय/संस्था-2/एलजेपी/2019-20/ 3081

दिनांक:- 8 / 1 / 2020

अति. जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा,
समस्त जिले।

विषय: जिलों में कार्यरत पूर्व लोक जुम्बिश कार्मिकों से सम्बन्धित सूचनाओं के सत्यापन बाबत।


उपरोक्त विषय में निर्देशानुसार लेख है कि जिलों में कार्यरत पूर्व लोक जुम्बिश कार्मिकों के संबंध में सूचनाओं (जैसे-शैक्षिक योग्यता, जन्म तिथि, पता, इत्यादि) के सत्यापन हेतु निम्नानुसार दिनांकवार कार्यक्रम तय किया गया है:-

क्र.	दिनांक/वार	जिले संभागी	कुल
1	16.01.2020 गुरुवार	अजमेर-56, शिरोही-6, हनुमानगढ़-2	64
2	17.01.2020 शुक्रवार	टोक-17, अलवर-8, जोधपुर-35, राजसमंद-4, गंगानगर-2, सीकर -4	70
3	18.01.2020 शनिवार	बारा-33, बाड़मेर-8, झालावाड़-10, नागौर-9, चित्तौड़गढ़-19, बीकानेर-28, पाली-33, स. माधोपुर-3, झुन्झुनू- 4	79 68
4	20.01.2020 सोमवार	धौलपुर-1, कोटा-19, डूंगरपुर-40, जैसलमेर-9	69
5	21.01.2020 मंगलवार	जयपुर जिला-29, प्रतापगढ़-26, भरतपुर-12	67
6	22.01.2020 बुधवार	जालौर-6, बूंदी-40, उदयपुर-6, चुरू-1, दौसा-5, भीलवाड़ा-12	70
7	23.01.2020 गुरुवार	बांसवाड़ा-27, जयपुर मुख्यालय-24	51
कुल योग			538

अतः आप जिले में कार्यरत पूर्व लोक जुम्बिश कार्मिकों को (समग्र शिक्षा, केजीबीवी, मॉडल स्कूल अथवा अन्य कहीं भी कार्यरत) उपरोक्त कार्यक्रमानुसार निम्न सूचनाओं/प्रमाण पत्रों के साथ प्रातः 11 बजे राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के सभागार में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करें। कार्मिकों को निम्न सूचनायें/दस्तावेज अपने साथ लेकर प्रातः 11 बजे परिषद कार्यालय पर उपस्थित होना है-

1. पासपोर्ट साइज नवीनतम स्वयं के 2 फोटो
2. प्रारम्भ से वर्तमान तक के शैक्षिक, प्रशैक्षिक योग्यता मूल प्रमाण पत्र (अंक तालिका, प्रमाण पत्र 2004 के बाद की योग्यता हेतु, कार्यालय का सक्षम स्वीकृति पत्र आदि)
3. आधार कार्ड, एवं पैन कार्ड
4. UN आईडी नम्बर (EPF से सम्बन्धित)
5. वर्तमान प्राप्त वेतन का प्रमाण पत्र (सैलेरी स्लिप)
6. सर्व शिक्षा अभियान में समायोजन के समय (जून 2004 में) कार्यरत पद संबंधी दस्तावेज


कार्मिकों को उक्त निर्धारित दिवस का कार्य अवकाश और नियमानुसार टीए/डीए देय होगा। अतः तदनुसार आपके जिले में कार्यरत समस्त पूर्व लोक जुम्बिश कार्मिकों को निर्देशित करावें। कार्मिकों का निर्धारित कार्यक्रमानुसार उपस्थित होना अनिवार्य है।


(एम. आर. बागड़िया)

अति. रा. परि. निदेशक-1

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राज. स्कूल शिक्षा परिषद, सह शासन सचिव, जयपुर।
4. निजी सहायक, राज्य परि. निदेशक, समग्र शिक्षा, जयपुर।
5. निजी सहायक, अति. राज्य परि. निदेशक, (प्रथम एवं द्वितीय) समग्र शिक्षा, जयपुर।
6. संयुक्त निदेशक, राज. स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।


अति. रा. परि. निदेशक-1